एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -08 /2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः फरवरी 24 ,2021

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।

समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

विषयः- F.A.F.O डिफेक्टिव संख्याः2017/2020 ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती जगपता व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.02.2021 के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप सभी अवगत है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-158(6) में यह उपबन्ध है कि- जैसे ही किसी ऐसी दुर्घटना की बाबत जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अंतर्ग्रस्त है, कोई इत्तिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाती है या कोई रिपोर्ट इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा पूरी की जाती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उसकी एक प्रति यथास्थिति, इत्तिला अभिलिखित करने की तारीख से तीन दिन के भीतर या ऐसी रिपोर्ट पूरी होने पर, अधिकारिता, रखने वाले दावा अधिकरण को और एक प्रति संबंधित बीमाकर्ता को भेजेगा और जहां एक प्रति स्वामी को उपलब्ध कराई जाती है, वहां वह भी ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसे दावा अधिकरण और बीमाकर्ता को भेजेगा।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11801-11804/2005 जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी में पारित आदेश दिनांक 07.01.2010 के अनुपालन हेतु डीजी परिपत्र संख्या-24/2017 दिनांक 11.08.2017 द्वारा आप सभी को विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु संज्ञान में आया है कि कुछ जनपदों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-158(6) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीड लखनऊ द्वारा उपरोक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-158(6) के उपबन्धों का अनुपालन न किये जाने पर अप्रसन्ता व्यक्त करते हुये पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को उक्त उपबन्धों का अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

Scanned by CamScanner

It is unfortunate to notice that the police authorities are showing least concern about the verification of relevant papers in road accidents caused by motor vehicles. The report in terms of Section 158(6) is also not forwarded to the concerned tribunals and insurance companies within time. The dereliction of duty is in the teeth of judgement rendered by the apex court in the case of Jai Prakash vs. National Insurance Company 2010(2) T.A.C. 385(S.C).

The Director General of Police,U.P. is hereby directed to ensure the compliance of the mandatory duty envisaged under Section 158(6) of Motor Vehicles Act, 1988 by issuing a general circular to all the police stations concerned.

The Director General of Police,U.P. is permitted to be impleaded as respondent in the present case.Let the instructions be obtained by learned counsel about the action taken.

अतः प्रदेश के समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 150 के अन्तर्गत फार्म-54 द्वारा निर्धारित सूचना 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर तथा समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि मासिक अनुश्रवण करते रहें ताकि सभी प्रकरणों में समय से रिपोर्ट दावा अधिकरण को भेजी जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जायें तथा निर्देशों के उल्लंघन के दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक,यातायात उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner